मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय
// आदेश //

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी, 2022

क्रमांक एफ 1–188/2021/18–1 :: विभागीय आदेश क्र. एफ 1–149/2021/18–1 दिनांक 31.08.2021 द्वारा श्री कमलेश शर्मा, सहायक यंत्री(न.नि.सेवा) नगर पालिक निगम सतना का प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से प्रतिनियुक्ति पर नगर पालिक निगम कटनी स्थानांतरण किया गया। उक्त स्थानांतरण के विरूद्व श्री शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्र. 19955/2021 प्रस्तुत की गई। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त याचिका पर दिनांक 24.09.2021 को निर्णय पारित किया गया है, जिसका ऑपरेटिव पार्ट इस प्रकार है:–

" Considering the aforesaid facts and circumstances of the case, writ petition is disposed of with direction to respondent No. 1 to consider and decide the representation of petitioner within a period of 30 days by passing reasonable and speaking orders.

Meanwhile, petitioner may be permitted to continue at Municipal Corporation, Satna.

No opinion is expressed on the merits of the case.

With the aforesaid direction, writ petition is disposed of."

2. उक्त निर्णय के तारतम्य में आवेदक श्री शर्मा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह लेख किया है कि:–

A. प्रार्थी नगर पालिक निगम, सतना में उपयंत्री के पद पर पदस्थ था। नगर पालिक निगम सतना की मेयर इन काउंसिल की बैठक दिनांक 08.07.2011 के प्रस्ताव क्र. –11 द्वारा सर्वसम्मति से प्रार्थी को सहायक यंत्री का प्रभार दिये जाने का संकल्प पारित किया गया। मेयर इन काउंसिल के उपरोक्त संकल्प के पालन में नगर पालिक निगम सतना के आदेश क्र. 381 दिनांक 19.07.2011 द्वारा प्रार्थी को सहायक यंत्री का प्रभार दिये जाने के आदेश जारी किये गये। तदोपरान्त विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 23.01.2015 को लिये गये निर्णय के क्रम में मेयर इन काउंसिल की बैठक दिनांक 02.02. 2015 के प्रस्ताव क्रमांक 41 द्वारा तक संकल्प पारित कर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा दी गई अनुशंसाओं पर स्वीकृति प्रदान की जाकर प्रकरण की पृष्टि एवं अनुमोदन हेतु राज्य शासन को प्रेषित किये जाने का संकल्प पारित किया गया। इसी क्रम में प्रार्थी की पदोन्नति का प्रस्ताव नगर पालिक निगम सतना के पत्र क्र. 885 दिनांक 07.02.2015 से शासन को प्रेषित किया गया। म.प्र.शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ 4–23/015/18–1 भोपाल दिनांक 08.07.2015 से मेयर इन काउंसिल की बैठक दिनांक 02.02.2015 के संकल्प क्र. 41 द्वारा दी गई स्वीकृति अनुसार

निरंतर.....2

दिनांक 08.07.2015 को उपयंत्री से सहायक यंत्री के पद पर पदोन्नति की दी गई स्वीकृति की प्रदान की गई है। राज्य शासन द्वारा प्रार्थी के प्रकरण पर दिनांक 08.07.2015 को पुष्टि प्रदान किये जाने के 17 महीने बाद भी कार्यालय, नगर पालिक निगम सतना द्वारा आदेश जारी न किये जाने के कारण प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.12.2016 को आवेदन प्रस्तुत कर पात्रता दिनांक से पदोन्नति के आदेश जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, परन्तु पदोन्नति ओदश जारी न होने से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका क्र. डब्ल्यूपी 19380/2017 प्रस्तुत की गई।

B. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिका क्र. डब्ल्यूपी 19380/2017 दिनांक 17.11.2017 में पारित निर्णय की सत्यापित प्रति संलग्न कर दिनांक 19.12.2017 को नगर निगम सतना में आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया था कि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 21.12.2016 पर सद्भावना पूर्वक विचार करते हुये पदोन्नति आदेश जारी करने की कृपा की जाए। प्रार्थी का आज दिनांक तक राज्य शासन द्वारा उपयंत्री से सहायक यंत्री के पद पर की गई पदोन्नति की पुष्टि एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में पारित निर्णय दिनांक 17.11.2017 के पालन में नियमित सहायक यंत्री के पद पर पदोन्नति आदेश जारी नहीं किये गये। यदि प्रार्थी का स्थानांतरण प्रार्थी के मूल निकाय से अन्यत्र निकाय में हो जाता है तो ऐसे में प्रार्थी अपने हितों की रक्षा करने में असमर्थ रहेगा और प्रार्थी अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हो जायेगा। अतः संदर्भित आदेश से किया गया स्थानांतरण को निरस्त किये जाने की कृपा की जाये।

C. प्रार्थी सतना जिले का मूल निवासी है। प्रार्थी की स्वयं की उम्र 60 वर्ष है। प्रार्थी यहां संयुक्त परिवार में रहता है, जिसमें प्रार्थी के बडे भाई की मृत्यु दिनांक 10.08.2021 एवं प्रार्थी की बहन की मृत्यु दिनांक 27.08.2021 को हो गई है। प्रार्थी के स्वंय के परिवार एवं संयुक्त परिवार में प्रार्थी की माता जी की उम्र 91 वर्ष मृतक बडे भाई की पत्नी की देखरेख करना, उन सभी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, प्रार्थी का प्राथमिक दायित्व है। इस संबंध में यह भी निवेदन किया है कि वर्तमान में कोविड–19 का प्रकोप पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का स्थानांतरण अन्यत्र निकाय में हो जाने से प्रार्थी कार्यालय एवं पारिवारिक दायित्वों का सम्यक रूप से निर्वहन नही कर सकेगा।

D. प्रार्थी पिछले 01 वर्ष 06 माह से Tail bone एवं Back bone की बीमारी से ग्रसित है, ऐसी स्थिति में लम्बे समय तक बैठकर कार्य किये जाने से अत्यधिक शारीरिक कठिनाई होती है। प्रार्थी का ईलाज भी सतना शहर के सुप्रसिद्व चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इसी शहर में परिजनों के साथ निवास करने से चिकित्सा एवं बीमारी से जनित अन्य कठिनाईयों में आपेक्षित सहयोग प्राप्त होता रहता है, जिससे बीमारी से ग्रसित होने के बाद भी कार्यालयीन कामकाज को संपादित करने में सहजता रहती है।

E. प्रार्थी नगर निगम सेवा का कर्मचारी होकर नगर निगम सतना पैतृक विभाग है। नवीन कार्मिक संरचना में 05 लाख तक के आबादी में सहायक यंत्री के लिये 08 पद स्वीकृत है। इन स्वीकृत पदो के विरूद्व प्रार्थी सहित कुल 03 सहायक यंत्री कार्यरत है। 05 सहायक यंत्री के पद रिक्त है। वर्तमान में शासन द्वारा जारी किये गये स्थानांतरण आदेशों में नगर पालिक निगम सतना में किसी भी अन्य सहायक यंत्री की पदस्थापना नहीं की गई है। नगर पालिक निगम सतना द्वारा राज्य शासन से शेष 05 सहायक यंत्री के

निरंतर.....3

रिक्त पदों पद पर पदस्थापना करने हेतु अनुरोध किया गया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में कार्यरत 03 सहायक यंत्री में 01 सहायक यंत्री के स्थानांतरण कर देने से नगर निगम के विकास कार्य प्रभावित होंगे।

F. म.प्र. नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 58 का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसमें किसी भी कर्मचारी के स्थानांतरण आदेश में एक निश्चित कारण लिखा जाना चाहिए और प्रतिनियुक्ति की अवधि स्थानांतरण आदेश में ही निर्धारित की जाना चाहिए। प्रार्थी का पूरा सेवाकाल निसकलंक रहा है। प्रार्थी को संस्था के हित में किये गये उत्कृष्ट सेवाओं के लिये भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है। प्रार्थी के विरूद्व कोई भी शिकायत/विभागीय जांच या अन्य शासकीय एजेन्सियों के समक्ष प्रचलित नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना किसी का कारण के स्थानांतरण किया जाना दण्ड स्वरूप प्रतीत होता है।

3. उक्त संबंध में लेख है कि म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्र. 1–149/2021/18–1 दिनांक 31.08.2021 द्वारा श्री कमलेश शर्मा, सहायक यंत्री (न.नि.सेवा) नगर पालिक निगम सतना का स्थानांतरण प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से प्रतिनियुक्ति पर नगर पालिक निगम कटनी किया गया है। अपीलर्थी द्वारा अभ्यावेदन में पदोन्नति संबंधी अभ्यावेदन दिया है, जो स्थानांतरण के विषय से संबंधित नहीं है। पुनः सतना के समान कटनी में भी ईलाज की पर्याप्त सुविधाएं हैं। अतः श्री शर्मा द्वारा स्थानांतरण निरस्ती के संदर्भ में प्रस्तुत तर्क मान्य योग्य व समाधानकारक नहीं है।

म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा–58 (5) के प्रावधान अनुसार इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार किसी नगर पालिक निगम के किसी अधिकारी या सेवक का प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण किसी अन्य नगर पालिक निगम को ऐसी शर्तों के साथ कर सकेगी, जो उपधारा(6) में विनिर्दिष्ट हैं, और राज्य सरकार के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि इस उपधारा के अधीन प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण का आदेश पारित करने के पूर्व वह या तो संबंधित निगमों से अथवा संबंधित अधिकारी या सेवक से परामर्श करें।

4. उपरोक्त के दृष्टिगत उक्त अभ्यावेदन में उल्लेखित तथ्यों के परीक्षोंपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा श्री कमलेश शर्मा, सहायक यंत्री(न.नि.सेवा) के अभ्यावेदन को अमान्य करते हुये नगर पालिक निगम सतना से प्रतिनियुक्ति पर नगर पालिक निगम कटनी किये गये स्थानांतरण को यथावत रखता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(तरूण राठी)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल,दिनांक 18 जनवरी, 2022

पृ0 कमांक एफ 1–188/2021/18–1

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, मा. मंत्रीजी नगरीय विकास एवं आवास।
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग।

निरंतर.....4

3. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, ... म0प्र0।
5. संबंधित संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास .....
6. संबंधित सहायक यंत्री .....।
7. श्री नरेन्द्र भगत, वेब कांटेक्टर मैनेजर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास,
8. आर्डर बुक,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग